1140

कार्यालयः नगर निगम, कटिहार।

पत्रांक–1820 /न०नि०,

प्रेषक ; नगर आयुक्त,
नगर निगम, कटिहार।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

कटिहार, दिनांक–6वीं अक्टुबर, 2015 ई०

विषय :– रोस्टर के आधार पर सभी लंबित अंकेक्षण कंडिकाओं का निराकरण हेतु विभागीय मुख्यालय में समीक्षात्मक बैठक के संबंध में।

प्रसंग :– भवदीय पत्रांक–4237 / न०वि० एवं आ०वि०, दिनांक–22.09.2015।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में दिनांक–07.10.2015 को विभाग में आहुत बैठक में वित्तीय वर्ष 2001–02 से 2012–13 तक के लंबित कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन एवं वित्तीय वर्ष 2013–14 का अंकेक्षण अनुपालन प्रतिवेदन तैयार किया गया है। शेष अवधि का प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है।

अतः अनुरोध है कि तैयार प्रतिवेदन के आलोक में समीक्षोपरांत आवश्यक निर्देश देने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

अनुलग्नक :– यथोपरि !

06/10/2015

for नगर आयुक्त,
नगर निगम, कटिहार।

07/10/15

**"प्रतिबंधित पॉलीथीन कचड़े पर्यावरण को करते बेहाल,
कपड़े, जूट थैलों का ही करें इस्तेमाल।"**

अंकेक्षण प्रतिवेदन सं०–936/2014–15

भाग–I

1.	कार्यालय का नाम	नगर निगम, कटिहार
2.	निरीक्षण का वर्ष	वित्तीय वर्ष 2013–2014
3.	लेखापरीक्षा की अवधि	21.07.2014 से 12.08.2014
4.	लेखापरीक्षा दल के सदस्य	विश्वपति सिंह, स.ले.प.अ. चित्तरंजन कुमार, स.ले.प.अ. चन्दन पासवान, ले.प. राकेश कुमार सिंह, ले.प.
5.	निरीक्षि पदाधिकारी का नाम	श्री शम्भु प्रसाद गुप्ता, व.ले.प.अ.
6.	क्या कार्यालय प्रधान के साथ आपत्तियों पर विचार–विमर्श किया गया ?	हाँ, दिनांक–12.08.14 को लेखापरीक्षा के दौरान उठाई गई आपत्तियों पर चर्चा की गई।

7. प्रशासन :–

(i) नगर आयुक्त का नाम

क्रम सं०	नाम	अवधि
1.	रामकिशोर मिश्र	01.04.13 से 31.12.13
2.	प्रियरंजन सिन्हा	01.01.14 से 13.02.14
3.	राकेश कुमार	14.02.14 से 31.03.14

(ii) अध्यक्ष का नाम

क्रम सं०	नाम	अवधि
1.	विजय सिंह	01.04.13 से 31.03.14

(iii) उपाध्यक्ष का नाम

क्रम सं०	नाम	अवधि
1.	पुष्पा देवी	01.04.13 से 31.03.14

8.	दावा अस्वीकरण प्रमाण–पत्र	कोई टिप्पणी नहीं।
9.	लेखापरीक्षा का परिक्षेत्र	कोई टिप्पणी नहीं।
10.	पूर्ववर्त्ती लेखापरीक्षा का अनुपालन प्रतिवेदन	कोई टिप्पणी नहीं।
11.	बजट प्राक्कलन	कोई टिप्पणी नहीं।
12.	सामान्य अभियुक्ति	कोई टिप्पणी नहीं।
13.	लेखापरीक्षा का परिणाम	कोई टिप्पणी नहीं।
14.	वित्तीय अधिदृश्य	कोई टिप्पणी नहीं।
15.	रोकड़ बही की त्रुटियाँ	कोई टिप्पणी नहीं।
16.	सरकारी अनुदान	कोई टिप्पणी नहीं।

भाग–II (क) – शून्य

भाग–II (ख)

कंडिका सं०	अंकेक्षण आपत्ति	अंकेक्षण आपत्तियों का अनुपालन
1.	नक्शा पारित करने में श्रम सेस की वसूली नहीं किये जाने से हानि रूपये 42.62 लाख।	इस कार्यालय के ज्ञापांक–1815/न०नि०, दिनांक–05.10.2015 के द्वारा संबंधित कर्मी से श्रम सेस की वसूली नहीं करने संबंधी कारण पुछा गया है। अंकेक्षण अवधि वित्तीय वर्ष 2013–14 में आर्किटेक द्वारा नक्शा स्वीकृत किया जाता था।
2.	नक्शा स्वीकृति में डेवलपमेन्ट परमिट फीस नहीं लेने के कारण हानि रूपये 6.66 लाख। (बिल्डिंग बायलॉज के नियम 4.1 के प्रावधानानुसार)	इस कार्यालय के ज्ञापांक–1815/न०नि०, दिनांक–05.10.2015 के द्वारा संबंधित कर्मी से डेवलपमेन्ट परमिट फीस की वसूली नहीं करने संबंधी कारण पुछा गया है। अंकेक्षण अवधि वित्तीय वर्ष 2013–14 में आर्किटेक द्वारा नक्शा स्वीकृत किया जाता था।
3.	तीन पीस ट्रक चेचिस खरीद में अनियमितता (राशि रूपये 40.06 लाख)।	निविदा आमंत्रण कार्रवाई असफल होने के उपरांत प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक–862, दिनांक–21.02.2008 के कंडिका–12 (छाया प्रति संलग्न) एवं ज्ञापांक–2044, दिनांक– 24.04.2008 के कंडिका–13 (छाया प्रति संलग्न) के आलोक में सुप्रिम इन्टरप्राईजेज से तीन पीस कॉम्पेक्टर, जेटिंग मशीन, चेचिस एवं ग्लैबनाईज्ड चदरा का डस्टबीन 140 पीस क्रय किया गया था। सुप्रिम इन्टरप्राईजेज द्वारा 70 नग डस्टबीन की आपूर्ति की गयी थी तथा तीन पीस चेचिस की आपूर्ति हेतु अग्रिम भुगतान की मांग की गयी थी ताकि चेचिस पर कॉम्पेक्टर एवं जेटिंग मशीन फिटिंग सहित आपूर्ति की जा सके। 70 नग डस्टबीन का भुगतान बतौर जमानत लंबित रखकर तीन चेचिस के विरूद्ध अग्रिम भुगतान किया गया था। आपूर्ति उपरांत जाँचोपरांत समायोजन किया गया। आपूर्तिकर्त्ता द्वारा लिखित अनुरोध किया गया कि वो वैट निबंधित आपूर्तिकर्त्ता है तथा स्वयं वैट का भुगतान करते है इसलिए वैट की कटौती उनके विपत्र से न की जाय क्योंकि वे स्वयं वैट जमा कर फर्म सी–3 में जमा होने का प्रमाण–पत्र संबंधित विभाग से प्राप्त कर उपलब्ध करा देंगे। जिसके आलोक में तत्कालीन मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी के आदेशानुसार वैट की कटौती किये बिना भुगतान किया गया। बाद में आपूर्तिकर्त्ता द्वारा फर्म–सी–3 उपलब्ध करा दिया गय (छाया प्रति संलग्न)। डस्टबीन के विरूद्ध किये गये भुगतान का भी फर्म–सी–3 प्राप्त है। इस तरह कोई भुगतान अधिक नहीं किया गया। स्पष्ट है कि एकरारनामा के आलोक में तीन ट्रक चेचिस आपूर्ति के विरूद्ध 70 डस्टबीन का भुगतान लंबित रखकर अग्रिम भुगतान महापौर की सहमति संचिका में प्राप्ति उपरांत मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी के आदेशानुसार किए गए थे।
4.	सेवा भारत एक गैर सरकारी संस्था को अनियमित भुगतान राशि रूपये 14.00 लाख।	एकरारनामा के अनुसार नगर प्रबंधक के द्वारा संतोषजनक कार्य करने का प्रतिवेदन देने के उपरांत ही सेवा भारत को मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी के आदेशानुसार भुगतान किया गया था।
5.	विलम्ब शुल्क की कटौती नहीं रूपये 55.14 लाख।	(क) <u>नगर निगम निधि</u> :– नगर निगम के श्रोत से ली गयी योजनाओं का कार्यान्वयन विभागीय कर्मी के द्वारा कराया जाता है। इन योजनाओं के स्वीकृत प्राक्कलन से संवेदक लाभांश की राशि 9.09 प्रतिशत की कटौती कर विभागीय कार्य संयोजक को भुगतान किया जाता है। तृतीय श्रेणी स्थायी कर्मियों की संख्या सीमीत रहने के कारण एक–एक कर्मी को कई एक योजनाओं के क्रियान्वयन का भार सौंपा जाता है। ये कर्मीगण कार्यालय के अपने मूल कार्य को सम्पादित करते हुए योजनाओं के कार्यों को सम्पन्न कराते है। फलतः इनके प्रभार के कुछ योजनाओं के कार्य ससमय सम्पन्न हो जाता है तथा कुछ कार्य सम्पन्न होने में निर्धारितसमय पार कर जाता है। चुँकि इनके द्वारा सम्पादित योजना में से संवेदक लाभांश की राशि काट ली जाती है इसलिए विलम्ब शुल्क की कटौती नहीं की गयी है।

कंडिका सं०	अंकेक्षण आपत्ति	अंकेक्षण आपत्तियों का अनुपालन
		(ख) **बी.आर.जी.एफ.** :– इस मद की सभी स्वीकृत योजनाओं का कार्यान्वयन निविदा अन्तर्गत स्वीकृत संवेदकों के द्वारा करायी गयी है। एकरारनामा अनुसार योजनाओं का कार्यान्वयन निर्धारित समय सीमा में नहीं होने पर 10 प्रतिशत राशि (विलम्ब दण्ड शुल्क स्वरूप) अंतिम भुगतान हेतु प्रस्तुत विपत्र से काट ली जाती है। जिन योजनाओं के क्रियान्वयन में विलम्ब होने का ठोस कारण पाया जाता है तो वैसे योजनाओं में कार्यपालक अभियंता की अनुशंसा के आलोक में समय विस्तार स्वीकृति प्रदान कर कटौती नहीं की जाती है। इस तरह कोई भुगतान अधिक नहीं किया गया है। (ग) **13वें वित्त आयोग** :– इस मद की एक योजना जो रैन बसेरा निर्माण की है निविदा अन्तर्गत स्वीकृत संवेदक शेर खान द्वारा पूर्ण की गयी है। इस योजना की प्रा० राशि रूपये 40,81,819.00 की है। एकरारनामानुसार निर्धारित कार्यावधि 6 माह थी जो दिनांक–26.10.2013 को समाप्त होनी थी, परंतु संवेदक को गम्भीर बिमारी की स्थिति में दिल्ली मेदान्ता अस्पताल में भर्ती होना पड़ा जिसके कारण प्रभारी कार्यपालक अभियंता की संचिका पर अंकित अनुशंसा के आलोक में दिनांक–30.09.2014 तक का समय विस्तार स्वीकृत किया गया। संवेदक द्वारा दिनांक–03.09.2014 तक कार्य पूर्ण कर दिया गया था। लिहाजा विलम्ब शुल्क नहीं काटा गया। (घ) **चतुर्थ राज्य वित्त आयोग** :– वर्णित सभी सात योजनाएँ में से छः योजनाएँ पूर्ण एवं एक अपूर्ण है। 7 योजनाओं में से 3 योजनाओं के विरूद्ध 10 प्रतिशत विलम्ब शुल्क के रूप में कुल राशि रूपये 3,04,246.00 की कटौती की गयी है शेष पूर्ण योजनाएँ निर्धारित समयसीमा के भीतर है जिसके विरूद्ध कोई विलम्ब शुल्क नहीं काटा गया है। इस तरह कोई भुगतान अधिक नहीं हुआ है।
6.	सैरात बंदोबस्ती में स्टाम्प शुल्क नहीं लिये जाने से हानि–रूपये 2.05 लाख।	सैरातों की बन्दोवस्ती वार्षिक आधार पर होती है जिसमें मुद्रांक शुल्क की वसूली नहीं करनी है। पत्र की प्रति अंकेक्षण दल को अंकेक्षण के दौरान दिखाया गया है, जिसका पत्रांक–1I––1/2010–193/नि०, दिनांक–04.04.2014 इस कंडिका में उल्लेखित किया गया है। इस अनुपालन प्रतिवेदन के साथ पुनः इस पत्र की छाया प्रति संलग्न कर उपलब्ध करायी जा रही है।
7.	शहरी क्षेत्र में पेय जलापूर्ति योजना के अन्तर्गत प्राप्त राशि रूपये 819.14 लाख का उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाना।	शहरी क्षेत्र में पेयजलापूर्ति के अन्तर्गत नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त राशि रूपये 818.14 लाख विभाग के निर्देश के आलोक में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल, कटिहार को ससमय उपलब्ध करा दी गयी थी। इस राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल, कटिहार द्वारा उपलब्ध कराया गया जिसे विभिन्न तिथियों में नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना में जमा किया गया है। इस राशि अन्तर्गत निर्मित जल मीनार के जल का जाँच परीक्षण प्रक्रियाधीन है। अब तक इस येाजना का हस्तांतरण नगर निगम, कटिहार को नहीं हुआ है। अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल, कटिहार को निविदा प्रक्रिया एवं बिहार वित्त नियमावली के अनुपालन संबंधी कार्रवाई किये जाने की जानकारी पत्रांक–1816/न०नि०, दिनांक–05.10.2015द्वारा मांगी गयी है।
8.	नहीं जमा/कम जमा राशि रूपये 0.20 लाख।	ज्ञापांक–1817/न०नि०, दिनांक–05.10.2015 से रोकड़पाल, श्री हीरा झा से प्रतिवेदन मांगा गया है।

कंडिका सं०	अंकेक्षण आपत्ति	अंकेक्षण आपत्तियों का अनुपालन
9.	सरकारी भवनों से बकाया करों की वसूली नहीं राशि रूपये 146.00 लाख।	वित्तीय वर्ष 2013–14 में केन्द्रीय सरकार के भवनों से सेवा कर के रूप में रूपये 39,824.00 की प्राप्ति हुयी है तथा रूपये 1,45,98,772.00 बकाया है जिसकी वसूली की जानी है। परंतु इस सेवा कर को अवैध मानते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा Civil Appeal सं०–6532/2002 में दिये गये न्यायादेश एवं डाक अधीक्षक, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ के पत्रांक–डी०–83/पोस्टल क्वार्टर/कटिहार/चे०–IX दिनांक–13.02.2015 का हवाला देते हुए सेवा कर का भुगतान इन भवनों द्वारा नहीं किया जा रहा है। तत्संबंधी वसूली नहीं करने का विधिक परामर्श भी विभागीय अधिवक्ता द्वारा संबंधित संचिका के टिप्पणी पृष्ट सं०–6 पर अंकित किया गया है। (सभी छाया प्रति संलग्न)
10.	दूकानों का बकाया किराया राशि–रूपये 38.80 लाख।	नगर निगम दुकानों से विलम्ब दण्ड के साथ बकाया सहित मासिक किराया की वसूली लगातार की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2013–14 के बकाये राशि 38.80 लाख के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2014–15 में कुल रूपये 24,83,678.00 वसूली की जा चुकी है। शेष वसूली जारी है।
11.	गृह कर की बकाया राशि रूपये 136.00 लाख।	विलम्ब दण्ड के साथ बकाया सहित चालू गृहकर की वसूली लगातार की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2013–14 के बकाये राशि 136.00 लाख के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2014–15 में कुल रूपये 1,15,42,876.45 की वसूली की जा चुकी है। शेष वसूली जारी है।
12.	दैनिक मजदूरी पर अनियमित व्यय राशि रूपये 173.00 लाख।	सरकार से वर्ष 1971 में स्वीकृत बल की सं०–253 थी तब इस निकाय का क्षेत्रफल 14 वर्ग किलोमीटर था। आज क्षेत्रफल है 25.52 वर्गकिलोमीटर तब भी स्वीकृत बल की संख्या उतनी ही है। जबकि स्वीकृत बल के विरूद्ध कार्यरत कर्मियों में से 70 प्रतिशत कर्मी सेवानिवृत्त अथवा मृत हो चुके है। मजदूरों/कर्मियों को आवश्यकता के तहत नगर निकाय के बोर्ड द्वारा रखा गया है। 15–20 वर्षों से कार्यरत सभी पुराने कर्मी हैं। इनको दैनिक मजदूरी/मानदेय नगर निगम निधि से एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन निधि से किया जाता है। इनकी सेवा समाप्त करने पर निगम का कार्य–कलाप ठप्प हो जाएगा। सरकार के निदेश पत्रांक–3475/न.वि. एवं आ.वि., दिनांक–14.11.2014 प्राप्ति के बाद मानदेय या दैनिक मजदूरी पर किसी को सेवा में नहीं लिया जा रहा है बल्कि एन.जी.ओ. के माध्यम से ठेका पर एकरारनामा के तहत कार्य कराया जा रहा है।
13.	फर्नीचर की खरीद में वैट की कटौती नहीं करने से हानि राशि रूपये 0.73 लाख।	नगर भवन के लिए फर्नीचर की खरीद गोदरेज कम्पनी के स्थानीय अधिकृत विक्रेता भोपालका ट्रेडिंग एजेन्सी से की गयी है। वित्तीय वर्ष 2013–14 में किए गए भुगतान के विरूद्ध विक्रेता द्वारा वैट राशि रूपये 72,500.00 का फार्म C-III अद्यतन जमा नहीं किया गया है जिसके लिए इस कार्यालय के ज्ञापांक–1802/न०नि०, दिनांक–30.09.2015 के द्वारा विक्रेता को वैट राशि का वाणिज्य कर विभाग से निर्गत फार्म–C-III उपलब्ध कराने हेतु पत्र दिया गया है। प्राप्त कर अगले अंकेक्षण दल को दिखा दिया जाएगा। पूर्व विपत्र के विरूद्ध फार्म C-III दिया गया है जिसकी छाया प्रति संलग्न की जाती है।

कंडिका सं०	अंकेक्षण आपत्ति	अंकेक्षण आपत्तियों का अनुपालन
14.	250 वॉट सोडियम वेपर लाइट की खरीद में अनियमितता (राशि रूपये 37.46 लाख)।	नगर निगम पुरे क्षेत्र में स्ट्रीट लाईट का मासिक विपत्र विद्युत विभाग द्वारा दिया जाता है जिसका भुगतान सरकार से प्राप्त अनुदान अथवा नगर निगम निधि से किया जाता है। कर दाता के सेवार्थ प्रकाश व्यवस्था निकाय का दायित्व है। बजट में इसका प्रावधान होता है। भुगतान की स्थिति में कार्यालय सक्षम नहीं हो तो संचिका में टिप्पणी अंकित कर दी जाती है। अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनुसार विजय रेडियों एण्ड इलेक्ट्रीक हाऊस को वैट की राशि रूपये 4,45,500.00 की कटौती किए बगैर पूरी विपत्र राशि रूपये 37,45,500.00 का भुगतान कर दिया गया है। जबकि चेक बुक, रोकड़ बही, चेक पंजी से स्वतः स्पष्ट है कि विपत्र राशि रूपये 37,45,500.00 निम्न प्रकार कटौती उपरांत भुगतान किया गया हैः– 1. विपत्र राशि – 37,45,500.00 (क) घटाया, आयकर – 66,000.00 (ख) घटाया, बिक्रीकर (Vat)– 4,45,500.00 2. भुगतान की गयी राशि – 37,45,500.00 (क) विजय रेडियो एण्ड इलेक्ट्रीक हाऊस– 32,34,000.00 (चेक सं०–ए256944/4, दिनांक–29.04.2013 (ख) आयकर पदाधिकारी, कटिहार–66,000.00 (चेक सं०–ए256946/6, दिनांक–29.04.2013) (ग) बिक्री कर पदाधिकारी, कटिहार–4,45,500.00 (चेक सं०–256947/7, दिनांक–29.04.2013) साक्ष्य स्वरूप चेक बही पृष्ठ की छाया प्रति संलग्न।
15.	डीजल मोबिल पर व्यय (राशि रूपये 17.14 लाख)।	वित्तीय वर्ष 2013–14 में अंकेक्षण आपत्ति कंडिका अनुसार डीजल/मोबिल पर 17.14 लाख व्यय हुआ है, जिससे संबंधित पारित अभिश्रव की संख्या एवं तिथि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश है। संबंधित पारित अभिश्रव अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जाता है। अंकेक्षण दल के समक्ष भी प्रस्तुत किया गया था, जिसे जाँचा भी गया है।
16.	अग्रिम (राशि रूपये 6.72 लाख)।	दुर्गा पूजा/छठ–2013 के अवसर पर बतौर पूजा अग्रिम कर्मचारियों/अधिकारियों को वेतन से अग्रिम का भुगतान किया गया था, जिसका समायोजन किस्तवार मासिक वेतन से कटौती करके कर लिया गया है। विभागीय स्तर से योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कार्यालय कर्मी–सह–कार्य संयोजक को दिये गए अग्रिम का समायोजन कर लिया गया है जिसे अगले अंकेक्षण दल के समक्ष प्रस्तुत किया जायगा।
17.	भविष्य निधि खाता।	नगर निगम, कटिहार के स्थायी कर्मचारियों का अलग–अलग भविष्य निधि खाता केनरा बैंक, कटिहार में खुलवाया गया है जिसमें कर्मियों के मासिक वेतन से भविष्य निधि मद में काटी गयी राशि (नीज अंशदान एवं बोर्ड अंशदान) जमा करने की कार्रवाई की जा रही है। अगले अंकेक्षण दल को दिखा दिया जायगा।
18.	संचार टावरों का अनाधिकृत एवं शुल्क की वसूली नहीं (राशि रूपये 56.70 लाख)।	89 संचार मीनारों में से 2 मीनार का डी.डी. प्राप्त नहीं रहने के कारण उन्हें सूची से हटा दिया गया है। शेष 87 मीनारों में से 64 मीनारों के निबंधन एवं नवीकरण हेतु कार्रवाई होनी है। सभी को सूचना पत्र दिया गया है। इनमें से किसी ने भी नियमावली 2012 के अन्तर्गत वांछित कागजात प्रस्तुत कर एन.ओ.सी. नहीं लिया है,। 87 में से 23 संचार मीनारों को एन.ओ.सी. निर्गत किया गया है जिसके विरूद्ध रूपये 3,50,000.00 वित्तीय वर्ष 2015–16 में नगर निगम कोष में जमा हुआ है। 64 मीनार जिन्हें एन.ओ.सी. निर्गत नहीं है, को वांछित कागजात जमा नहीं करने के कारण उनके द्वारा जमा की गयी राशि को वापस लेने हेतु नोटिश दिया गया है। इस तरह शुल्क राशि की वसूली हेतु कार्रवाई की जा रही है। अगले अंकेक्षण दल के समक्ष रखा जाएगा।

कंडिका सं०	अंकेक्षण आपत्ति	अंकेक्षण आपत्तियों का अनुपालन
19.	बिना एम एवं एन फार्म के कारण अनियमित व्यय (राशि रूपये 1.98 लाख)।	विकास योजनाओं का कार्यान्वयन निविदा के माध्यम से या विभागीय स्तर से (संवेदक लाभांश घटाकर) कराया जाता है। दोनों तरह से संपादित कार्यों के विरूद्ध भुगतानार्थ प्रस्तुत विपत्रों के साथ M एवं N फार्म नहीं रहने पर निर्धारित दर अनुसार रॉयाल्टी एवं बिक्री कर वो अन्य राशि काट ली जाती है और शेष राशि का अग्रिम समायोजनोपरान्त (यदि अग्रिम है) भुगतान किया जाता है। जहाँ तक योजना सं०–179/रैन/न०नि०/13 की बात है तो स्पष्ट करना है कि पीसीसी सड़क एवं गेट निर्माण कार्य की इस योजना का क्रियान्वयन संवेदक लाभांश काटकर विभागीय स्तर से निगम कर्मी द्वारा कराया गया था। योजना संपादन में प्रयुक्त सामग्री यथा, लाल बालू, चिप्स, ईंटा प्राप्त अभिश्रव अनुसार स्थानीय गोला/भट्टा से क्रय किया गया है। अभिश्रव के साथ M एवं N फार्म नहीं रहने के कारण क्रय किए गए सामग्री से संबंधित मापी–पुस्त अनुसार निम्नवत् रॉयाल्टी एवं बिक्री कर की कटौती की गयी हैं :– विपत्र सं० विपत्र राशि रायाल्टी बिक्री कर कुल प्रथम चालू 724714.00 9018.00 1394.00 10412.00 द्वितीय चालू 509098.00 11285.00 2391.00 13676.00 तृतीय चालू 361969.00 1927.00 7468.00 9395.00 **1595789.00 22230.00 11253.00 33483.00**
20.	श्रम सेस की कटौती नहीं करने से अधिक भुगतान राशि रूपये 1.56 लाख)।	श्रमायुक्त–सह–अध्यक्ष, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, बिहार सरकार के पत्रांक–3714, दिनांक–15.09.2010 के अनुसार रूपये 10.00 (दस लाख) से अधिक लागत वाली निर्माण कार्य की योजनाओं में 1 प्रतिशत सेस की राशि काटना है। इस कार्यालय के स्तर से दस लाख रूपये से अधिक की जो भी योजनाएँ ली गयी है उससे श्रमिक कल्याण उपकर के रूप में एक प्रतिशत राशि संबंधित विभाग को उपलब्ध कराने हेतु काट ली गयी है। वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 में रूपये 4,01,148.00 (चार लाख एक हजार एक सौ ड़तालिस) रूपये निम्न बैंक ड्राफ्ट द्वारा इस कार्यालय के पत्रांक–1782/न०नि०, दिनांक–21.09.2015 से सचिव, B.O.C.W. कल्याण बोर्ड, पटना, बिहार को भेजा गया हैं :– 1. बैंक ड्राफ्ट सं०–169410, दिनांक–28.08.15 = 277721.00 2. बैंक ड्राफ्ट सं०–169444, दिनांक–15.09.15 = 123427.00 401148.00 कटिहार नगर निगम में स्वयं के श्रोतों से ली गयी योजनाएँ संवेदक लाभांश घटाकर प्रायः रूपये 10.00 लाख से नीचे के लागत/प्राक्कलन की होती है जिससे 1 प्रतिशत सेस नहीं काटा जाता है। चूँकि ऐसी योजनाएँ विभागीय स्तर से कर्मियों द्वारा (संवेदक लाभांश के बिना) कार्यान्वित होती है जिसके प्राक्कलन एक तो प्रायः दस लाख रूपये से कम के होते हैं दुसरे इनके प्राक्कलन में 1 प्रतिशत सेस हेतु प्रावधान नहीं होते है। इसलिए निगम के नीज श्रोतों से ली गयी योजनाओं से श्रमिक कल्याण उपकर मद की 1 प्रतिशत राशि की कटौती नहीं की गयी है।

TAN

कंडिका सं०	अंकेक्षण आपत्ति / सुझाव	अंकेक्षण आपत्तियों / सुझाओं का अनुपालन
1.	कूड़ा संग्रह केन्द्र पर नियमानुकूल व्यवस्था नहीं।	नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं संचालन) नियमावली, 2000 के आलोक में दिए गए सुझाव के अनुसार कूड़ा संग्रह केन्द्र पर व्यवस्था हेतु नगर प्रबंधक, नगर निगम, कटिहार को ज्ञापांक–1818 / न०नि०, दिनांक–05.10.2015 से निदेशित किया गया है।
2.	कर संग्राहकों को देय कमीशन के सम्बन्ध में।	सुझाव के आलोक में जाँचोपरान्त कार्रवाई की जाएगी।
3.	निर्धारित राशि से ज्यादा का व्यय रूपये 366 लाख)।	नगर निगम निज निधि से ली गयी जो योजनाएँ रूपये 10.00 लाख से अधिक की थी उसे प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते समय रूपये 10.00 लाख तक सीमित कर दिया गया था। एक–दो योजना में अधिक का प्राक्कलित राशि कार्य स्थल की मांग अनुसार बढ़ाई गयी थी जिसका अनुमोदन बाद में बोर्ड / सशक्त स्थायी समिति की बैठक से ले लिया गया है।
4.	वार्षिक लेखा का संधारण नहीं।	कार्रवाई की जा रही है। अगले अंकेक्षण दल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। वैसे Tally में वार्षिक लेखा का संधारण हो रहा है।
5.	परिसम्पत्ति पंजी का संधारण नहीं।	कार्रवाई की जाएगी। वैसे नगरपालिका के अचल सम्पत्तियों की विवरणी सूचीबद्ध है जिसे बजट प्राक्कलन के साथ नगर निगम के समक्ष रखा जाता है। क्रय किए गए सम्पत्तियों का भंडार पंजी संधारित हे। गौर तलब है कि नगर निगम, कटिहार के परिसम्पत्तियों की पंजी तैयार करने हेतु श्रेयी नामक एक एन.जी.ओ. को सरकार द्वारा प्रतिनियुक्त किया गया था जिसके द्वारा लगातार करीबन दो वर्षों तक कार्य किया गया परन्तु फलाफल शून्य रहा। परिसम्पत्ति पंजी तैयार कर नहीं दी गयी।
6.	पूर्णता एवं आधिपत्य प्रमाण–पत्र निर्गत नहीं किया जाना।	कार्रवाई की जाएगी।
7.	एस.जे.एस.आर.वाई. मद की राशि का अस्थायी विचलन।	इस अस्थायी विचलन से बचने के लिए तथा कोषागार से पारित वेतन चेक बैंक खाता में जमाकर RTGs के माध्यम से संबंधित कर्मियों के बैंक खाता में वेतन राशि का हस्तांतरण सुगम एवं बैद्य बनाने हेतु नगर निगम, कटिहार के नाम से एक बैंक खाता खोलने का निदेश दिया गया।

06/10/15

MUNICIPAL COMMISSIONER
MUNICIPAL CORPORATION, KATIHAR